(9)

सं. 202/5/2009-एवीडी-II
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-2009

सेवा में

i) मुख्य सचिव,
(सभी राज्य सरकार और संघ शासित प्रशासन)

ii) पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक,
(सभी राज्य)

iii) महानिदेशक/सभी केंद्रीय पुलिस संगठन इत्यादि,

विषय : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना में अपर पुलिस अधीक्षक - प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 10000-325-15200 रुपए (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में समूह 'क'/राजपत्रित (अननुसचिवीय) अपर पुलिस अधीक्षक के रैंक में प्रतिनियुक्ति आधार पर 5 रिक्तियों को भरे जाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में राज्य पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों से उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। भविष्य में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

2. अपर पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो के पद के लिए मौजूदा भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार के.अ.ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पात्र हैं :-

केंद्रीय/राज्य पुलिस संगठन के अंतर्गत अधिकारी :-

(क) i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं या

या

ii) जिन्होंने 8000-13500 रु. (पूर्व संशोधित) के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 6 वर्ष नियमित सेवा की है

या

मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष

और

ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव है।

i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।

ii) आपराधिक मामलों के अन्वेषण का पांच वर्ष का अनुभव।

3. फीडर श्रेणी वाले वे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाईन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग - बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष से अधिक नही होगी।

5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-2) दिनांक 05.01.1994 में दी गई प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार शासित होंगे।

7. के.अ.ब्यूरो में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को सरकार द्वारा के.अ.ब्यूरो में तैनात कार्यपालक स्टाफ के लिए मंजूर ~ वेतन का **25 प्रतिशत की दर से विशेष प्रोत्साहन भत्ता** के कारण उनकी मासिक आय में यथेष्ट वृद्धि का लाभ मिलेगा।

8. अतः यह अनुरोध है कि उन उपयुक्त और इच्छुक अधिकारियों के नाम, जिन्हें उनके चयन होने की दशा में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है,अनुबंध-1 के अनुसार यथोचित रूप से हस्ताक्षरित उनके जीवन वृत्त और सम्पूर्ण सीआर डोजियर (मूल या सत्यापित सही प्रतिलिपि), सत्यनिष्ठा तथा सतर्कता संबंधी निकासी प्रमाण पत्र सहित इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने अथवा रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से **दो महीने (60 दिन)** के **भीतर**, जो भी बाद में हो, कृपया उपनिदेशक(प्रशासन), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ब्लॉक नं. 3, चौथा तल, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भिजवाएं जाएं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अथवा एसीआर डोजियर के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नही किया जाएगा।

(चंद्र प्रकाश)
अवर सचिव,
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
भारत सरकार, नई दिल्ली.

संलग्नक : जीवन वृत्त फार्म (अनुबंध-1).
समरूप कार्रवाई के लिए संलग्नकों सहित प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सहायक मीडिया कार्यपालक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना भवन, 10वां तल, फेज-4, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रोजगार समाचार में इस रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन के लिए रिलिज आदेश कृपया शीघ्र-अति-शीघ्र जारी किया जाए। यह प्रमाणित किया जाता है कि रोजगार समाचार में इस मांग के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली (तीन प्रतियों सहित)।

(चंद्र प्रकाश)
अवर सचिव,
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
भारत सरकार, नई दिल्ली.

संलग्नक : यथोपरोक्त।

अनुबंध-1

केरिकुलम विटे प्रोफार्मा

1. नाम एवं पता (साफ अक्षरों में) :

2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में) :

3. केंद्र/राज्य सरकार नियमावली के अधीन सेवानिवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षिक योग्यता :

5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पर्याप्त हैं। (यदि कोई योग्यता नियमों में उल्लिखित किसी के समकक्ष मानी जाती है तो इसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें)।

		अपेक्षित योग्यता/अनुभव	अधिकारी को प्राप्त योग्यता/अनुभव
आवश्यक	(1)		
	(2)		
	(3)		
वांछनीय	(1)		
	(2)		

6. कृपया यह स्पष्ट उल्लेख करें कि उपरोक्त प्रविष्टियों के प्रकाश में क्या आपके पास पद के लिए अपेक्षित योग्यता है। :

7. रोजगार का ब्यौरा क्रमानुसार। यदि दी गई जगह अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर से अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	धारित पद	से	कब तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तार से)

5

8 वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात्
तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत
अथवा स्थायी

9 यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/
संविदा आधार पर आधारित है तो कृपया बताए।

क) प्रारंभिक नियुक्ति का तारीख

ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि

ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम
जिससे आप संबद्ध है।

10 वर्तमान पद के बारे में अतिरिक्त विवरण :
क्या आप अधीन काम कर रहे हैं,
कृपया बताएं (संगत कालम में अपने नियोक्ता
का नाम बताए)

क) केंद्र सरकार
ख) राज्य सरकार
ग) स्वायत्त संगठन
घ) सरकारी उपक्रम
ङ) विश्वविद्यालय
च) अन्य

11 कृपया बताए क्या आप उसी विभाग
में काम कर रहे हैं और फीडर ग्रेड में
है अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में है।

12 क्या आप संशोधित वेतनमान में हं? :
यदि हां तो उस तारीख को दर्शाएं जब
संशोधन हुआ और पूर्व संशोधित वेतनमान
भी दर्शाएं।

13 इस समय प्रतिमाह आहरित सकल
परिलब्धियां

14. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो जिसे आप अपने पद की उपयुक्तता के बारे में उल्लिखित करना चाहें। (इसमें (1) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (2) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (3) विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित से अधिक कार्यानुभव का उल्लेख करें। (यदि जगह अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न करें) :

15. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं (आईएसटीसी/समायोजन/पुनर्नियुक्ति आधार) (केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी केवल समायोजन के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक संविदा के ही पात्र हैं।) :

16. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से से संबंधित हैं। :

17. अभ्युक्तियां (प्रत्याशी (1) अनुसंधान प्रकाशन और विशेष परियोजना रिपोर्ट (2) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयीय प्रशंसापत्र (3) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/संगठनों से सबद्ध और (4) कोई अन्य सूचना से संबंधित जानकारी प्रत्याशी दे सकता है। (नोट : यदि जगह अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न करें)। :

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मुझे यह अच्छी तरह ज्ञात है कि पद के चयन के समय चयन समिति द्वारा मेरे द्वारा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत केलकुलम विटे का मूल्यांकन किया जाएगा।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

पूरा डाक पता ....

....

....

दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित

....

....

(नियोक्ता मोहर के साथ)

(नियोक्ता द्वारा भरा जाने के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण सही है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है तथा वह सतर्कता की दृष्टि से सही है।

3. इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी मुख्य या गौण दंड नहीं लगाया गया है।

5. अधिकारी के चयन की स्थिति मे, इनको इस कार्यालय के कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा।

नाम/पदनाम सहित हस्ताक्षर
एवं कार्यालय मुहर